राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग

No. F.21 (19) Edu-1/E.E./ 2009 Dated : 05.01.2012

परिपत्र

विषय : शिक्षा के अधिकार के संबंध में 'शिक्षा संवाद।'
प्रसंग : राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का पत्रांक : **Do.No. CP/NC PCR/2011** दिनांक 4.11.2011

राज्य सरकार द्वारा बालकों/अभिभावकों/शिक्षकों/अन्य संबंधित वर्गों की निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 से संबंधित परिवेदना निस्तारण के लिए राज्य नियमों में प्रतिपादित व्यवस्था के साथ आदेश क्रमांक : No. F.21 (19) Edu-E.E./ 2009 दिनांक 16. 5.2011 के द्वारा प्रक्रिया स्पष्ट की गई है जिसके अनुसार परिवेदना निस्तारण के लिए ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एवं जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों को अपनी नियमित बैठकें आयोजित कर परिवेदना निस्तारण के लिए समयबद्ध प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिये गये थे।

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के पत्र Do.No. CP/NC PCR/2011 दिनांक 4.11.2011 पर विचार कर निर्णय लिया गया है कि राज्य नियमों के अनुसार ब्लॉक एवं जिला स्तर पर गठित समितियों का दायरा व्यापक करते हुए उसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के ब्लॉक स्तर पर पांच प्रतिनिधि (ब्लॉक स्तरीय परिवेदना निस्तारण समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित) एवं जिला स्तर पर दस प्रतिनिधि (जिला स्तरीय परिवेदना निस्तारण समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित) सम्मिलित किये जायेंगे। इनका आदेश संबंधित अध्यक्ष द्वारा जारी किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इन समितियों में अन्य विभागों के अधिकारी भी आमंत्रित किये जा सकेंगे। ये समितियां निम्न कार्य सम्पन्न करेंगी :-

- समिति की कार्यवाही 'शिक्षा संवाद' के रूप में आयोजित होगी जिसमें जिला व ब्लॉक स्तर पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विभिन्न पक्षों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी।
- ब्लॉक स्तर पर समिति की बैठक मासिक रूप से तथा जिला स्तर पर त्रैमासिक रूप से आयोजित होगी। आवश्यकता होने पर विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी।
- 'शिक्षा संवाद' में सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों/परिवेदनाओं का विधिवत पंजीयन कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा आगामी बैठक में की गई कार्यवाही से सदस्यों को अवगत कराया जायेगा।
- बैठक का आयोजन यथा सम्भव पंचायत समिति/जिला परिषद सभागार में किया जायेगा।
- बैठक के आयोजन की व्यवस्था संबंधित सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी।
- बैठक का कार्यवृत सदस्य सचिव द्वारा सभी संबंधित सदस्यों को प्रेषित किया जायेगा।

Sd/-
प्रमुख शासन सचिव,